राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/22 जयपुर, दिनांक 23-08-2023

::आज्ञा::

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारी श्री नंद गोपाल गोयल(उप विधि परामर्शी) उपनिदेशक, विधि, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं श्रीमती रूचि अग्रवाल, सहायक विधि परामर्शी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रशासनिक कारणों से कार्यव्यवस्था के तौर पर अग्रिम आदेशों तक कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में तुरन्त प्रभाव से उपस्थिति प्रदान किये जाने हेतु इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.04.2023 द्वारा निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के उपरान्त श्री नंद गोपाल गोयल(उप विधि परामर्शी), उपनिदेशक, विधि, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं श्रीमती रूचि अग्रवाल, सहायक विधि परामर्शी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रशासनिक कारणों से कार्यव्यवस्था के तौर पर पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर में अग्रिम आदेशों तक कार्य सम्पादित किये किये जाने हेतु इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 01.05.2023 द्वारा निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् श्री नंद गोपाल गोयल, उप विधि परामर्शी को कार्यव्यवस्था की दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर उप विधि परामर्शी, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय, जयपुर (सप्ताह में 3 दिवस सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार) एवं उप विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग सचिवालय, जयपुर (सप्ताह में 2 दिवस गुरूवार एवं शुक्रवार) के पद पर कार्य करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09.06.2023 द्वारा निर्देशित किया गया।

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारी श्री नंद गोपाल गोयल(उप विधि परामर्शी) उपनिदेशक, विधि, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं श्रीमती रूचि अग्रवाल, सहायक विधि परामर्शी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के संबंध में जारी की गई उक्त इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.04.2023, 01.05.2023 एवं 09.062023 को निरस्त किया जाकर श्री नंद गोपाल गोयल, उप विधि परामर्शी को उपनिदेशक, विधि, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर एवं श्रीमती रूचि अग्रवाल, सहायक विधि परामर्शी को सहायक विधि परामर्शी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पद पर तुरन्त प्रभाव से कार्यग्रहण किये जाने हेतु एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है।

उक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया गया था अपितु इन्हें कार्यव्यवस्था के तौर पर लगाया गया था। अतः उक्त दोनों अधिकारी श्री गोयल व श्रीमती अग्रवाल के वेतन भत्ते इत्यादि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से ही आहरित किये जायेंगे।

आज्ञा से

(आशुराम कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त उक्त दोनों अधिकारी श्री गोयल व श्रीमती अग्रवाल के वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान कराने का श्रम करावें।
4. संबंधित अधिकारी/संबंधित विभाग।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA 2022-23\ORDER-2022.docx